आम जनता को राहत

समय पर काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना

सेवा के अधिकार तहत गठित आयोग करेगा कार्रवाई, फिलहाल 31 विभागों की 546 सेवाएं अधिसूचित

सोनीपत, 10 सितम्बर (ब्यूरो): विभागों के चक्कर काट-काटकर परेशान होने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। सेवा के अधिकार तहत हर अधिकारी को समय पर काम करना होगा। यदि कोई अधिकारी समय पर काम नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। यही नहीं यदि जुर्माना 3 बार लगा तो अधिकारी की नौकरी भी जा सकती है।

लघु सचिवालय में शुक्रवार को सेवा का अधिकार अधिनियम तहत अधिकारियों तथा गणमान्य नागरिकों की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता आयोग के मुख्य कमिश्नर टी.सी. गुप्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 31 विभागों की 546 सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनमें से 277 सेवाएं ऑनलाइन हैं। शेष सेवाओं को भी ऑनलाइन किया जाएगा। इन सेवाओं की प्राप्ति में लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। निर्धारित समय सीमा में लोगों को इन सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसकी उल्लंघन करने वाले अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी अधिकारी पर 3 बार जुर्माना लगा तो उसकी नौकरी पर भारी पड़ सकता है। ढुलमुल रवैया अपनाने वाले अधिकारियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सेवा का अधिकार आयोग का गठन ही आम लोगों की सुविधा व समस्याओं के समाधान के लिए किया गया है।

■ 3 बार जुर्माना लगने पर अधिकारी की नौकरी भी जा सकती है, मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने बैठक में दिए सुझाव

अधिकारियों की बैठक लेते मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता।

डी.सी., ए.डी.सी. व एस.डी.एम. को होगा जुर्माना लगाने का अधिकार

मुख्य आयुक्त गुप्ता ने कहा कि कुछ सेवाओं में प्रथम अपीलीय अधिकारी उपायुक्त तथा अतिरिक्त उपायुक्त और एस.डी.एम. होते हैं जिन्हें स्वयं भी जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है किंतु कुछ मामलों में इन पर भी आयोग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर आम जनता की समस्याओं का निवारण ही प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी से अधिसूचित सेवाओं में विस्तार किया जाएगा ताकि लोगों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी कि वे प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध लोगों को सेवाओं का लाभ प्रदान करें।

ठोस कारण के बिना रद्द नहीं होगा आवेदन

मुख्य आयुक्त ने चेतावनी दी कि विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए लोगों के आवेदनों को ठोस कारण के बिना रद्द किए जाने पर भी कड़ा संज्ञान लिया जाएगा। इसलिए अधिकारी आवेदनों को रद्द करने की आदत को भी बदलें। उन्होंने ऐसे विभागीय अधिकारियों की तलब करते हुए विस्तार से कारणों की पड़ताल की जिनके पास लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है। विशेष रूप से कृषि विभाग, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हाउसिंग बोर्ड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, एच.एस.आई.आई.डी.सी., यू.एच.बी.वी.एन., वैल्फेयर ऑफ एस.सी.-बी.सी., एच.एस.वी.पी., स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शहरी स्थानीय निकाय प्रमुख रूप से शामिल थे।

10 में से 9.5 से अधिक हो स्कोर, फीडबैक में आने चाहिएं 5 में से 4 अंक

हरियाणा राज्य सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वह जिले की रैंकिंग में सुधार के लिए कटिबद्ध हैं। इसलिए, अधिकारीगण सुधार के लिए हर संभव प्रयास करें। उन्होंने कहा कि रैंकिंग में जिले का स्कोर 10 में से 9.5 से कम नहीं होना चाहिए।

साथ ही लोगों से सेवाओं के संदर्भ में मिलने वाली फीडबैक में 5 में से 4 अंक अवश्य होने चाहिएं। इससे कम स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने विभिन्न विभागों की फीडबैक पर चर्चा करते हुए कहा कि विभाग का स्कोर भले ही सही हो किंतु फीडबैक में कम अंक मिले हैं। इस अवसर पर सेवा का अधिकार आयोग की सदस्य सचिव मीनाक्षी राज, एस.पी. जशनदीप रंधावा समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

मौके पर ही किया कई समस्याओं का समाधान

सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य सचिव ने इस दौरान नागरिकों से फीडबैक भी ली। लोगों ने सुझाव देने के साथ समस्याएं भी प्रस्तुत की जिनके समाधान के लिए उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। फीडबैक देने वालों में मुख्य रूप से हुकम सिंह जोगी ने पेयजल की बर्बादी व पानी की निकासी, सरदार मोहन सिंह मनैचा ने डोमिसाइल बनवाने में होने वाली परेशानी, निशांत छौक्कर ने फाल्स हाउस के आवेदन, गुलशन राय ठेकेदार ने खरखौदा में निकासी व आवारा पशुओं की समस्या, सतपाल अहलावत ने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, रामफल सिंह ने सैक्टर क्षेत्र में आवारा पशुओं, रामधन मलिक ने सैक्टर-23 में सीवर की समस्या, राकेश छाबड़ा ने जी.टी. रोड के संपर्क मार्गों को दुरुस्त करवाने की समस्याएं प्रस्तुत कीं। साथ ही श्रीभगवान गुप्ता, शमशेर शर्मा व राजेंद्र राठी ने सेवा का अधिकार आयोग के प्रचार-प्रसार की मांग की।